

BALMER LAWRIE & CO LTD
(A Government of India Enterprise)
SBU : Greases & Lubricants
P-43 Hide Road Extension
Kolkata - 700 088

NOTICE INVITING TENDER

1. Tender No. : GLK/TE18/390 , dated – 08.02.2019
2. Tender Due Date : 01.03.2019 at 15.00 hrs. IST
3. Type of Tender : Public Tender
4. Item : Oleic Acid in tanker.
5. Quantity : **100 MT (+/- 10%)**
6. Earnest Money Deposit : **Rs. 50,000** (Indian Rupees Fifty thousand only)
7. Security Deposit : @ 3% of the basic order value
8. Period of Contract : Delivery up to 30.09.2019.
9. Validity of Offer : 60 days from the due date of the tender

DETAILS OF TENDER

Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BL), a Govt. of India Undertaking under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, invites electronic bids from manufacturers / potential bidders engaged in the business of supply of Oleic Acid as per Technical Specifications as follows.

1. Technical Specifications :

SL. NO.	PARAMETER	SPECIFICATION	UNIT
1	Appearance	Pale Yellow Liquid	
2	Acid Value	195 to 205	mg KOH/g
3	Iodine Value WIJ'S METHOD	90 min	mg/ g
4	% of C 16 and below	6.0 max	%
5	Titre	27 Max	Deg C
6	Saponification Value	199 Min	mg KOH/g
7	% of C 18 :1,2,3	75 Min	%
8	% of C 20 and above	5.0 max	%

The vendors are required to submit a copy of Product Data Sheet/Typical Test Report before due date of on line tender through e-mail failing which their offers may not be considered for final evaluation.

A confirmation is required by all bidders alongwith their bid that the product offered by them is meeting the above specifications without any deviation.

2. Package, Storage and Transportation

Material should be delivered in 20 MT capacity SS tanker.

- 3. Quality :-** Each lot/ batch must be accompanied by the manufacturer's test and approval of quality report. All bidders are to give a declaration in their offer that they accept the Technical Specifications in TOTO, failing which their offer will not be considered for evaluation purpose.

- 4. Quantity :** 100 MT with quantity tolerance (+) 10 %

- 5. Country of origin :** All bidders must mention the Country of origin alongwith their bid and also mention the harmonized customs tariff number.

- 6. Reference and testimonials :** Bidder must provide details of their manufacturing locations including capacities, quality system certifications, major customers in India and overseas. **If overseas bidder is represented by Agent in India, the latter shall furnish agency agreement / authorization from their principal to quote on their behalf.**

7. Earnest Money Deposit : Interest free EMD of Rs 50000.00 [Rupees Fifty Thousand] for indigenous bidder shall be furnished along with the offer by Pay Order / DD drawn on any schedule bank in India in favour of "BALMER LAWRIE & CO. LTD." and payable at Kolkata (Calcutta), India.

Provisions for Micro , Small and Medium Enterprises (MSME) :

- a) Qualification Criterion : MSME vendor must confirm that UAN No has been uploaded on CPPP website as required by minister vide circular no F:No21(17) / 2016 dated 06.04.18 for qualifying to be considered as MSME vendor under this tender.
- b) Micro & small scale manufacturing units, registered under MSME/ NSIC, also complying clause of EMD .a in the tender are exempted for submission of EMD amount.
- c) Preference for Price Quotation in tenders : Participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprises. Such Micro and Small Enterprises shall be allowed to supply up to maximum 25 per cent of total tendered quantity for the grade at the respective plant subject to assessment of operational feasibility by tendering authority.

8. Security Deposit of 3 % of the basic order value shall be payable by the vendor within 15 days from the date of placement of LOI / Order. If the tender quantity is split between two vendors at the time placement of order, the security deposit will also be divided in proportion..

9. **Validity of offer** : Your offer should be valid for acceptance upto 60 days from the due date of tender.

10. **Delivery schedule**

Material should be reached at our G&L Kolkata Plant within 7-15 days from the date of placement of LOI/PO /as per periodic call-ups within 30.09.2019. The call up quantity will be minimum 20 MT (a full tanker load).

11. **Payment terms**

30 (thirty) days from the date of receipt of materials by us.

12. **Price**

The bidders must quote in INR / Kg on door delivery basis at our plant in Kolkata.

Price should be valid for delivery up to 30.09.2019.

- 13. Acceptance of Bid :** BL reserves the right to accept any tender in whole or in part or reject any or all tenders without assigning any reason. The decision in regard to acceptance and/or rejection of any/ all offers in part/full shall be at the sole discretion of BL, and decision in this regard shall be binding on the bidders.
- 14. Risk Purchase :**Without prejudice to other provisions in the tender, in the event of the supplier failing to supply within the stipulated lead time, BL shall have the option to procure the product from alternate sources, at the risk and cost of the supplier without further intimation. In case of rejection, if any, dispatch of replacement material for suppliers the buyer shall have right to procure the product from alternate sources at the risk and cost of the supplier without further intimation.
- 15. Guarantee :** On receipt and testing of the product (within 60 days of arrival), if it is found that it does not meet the contractual specifications, the supplier shall replace the product free of cost and shall also reimburse the buyer any costs that the buyer might have incurred on the off-spec material.

16. Arbitration

Disputes or differences arising out of or in relation to agreement/ contract shall be referred to the Chairman and Managing Director of Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BL), who may either act himself as Sole Arbitrator or nominate some officer of BL to act as an Arbitrator to adjudicate the disputes and differences between the parties (except those in respect of which the decision of any person is by the contract expressed to be final and binding).

The supplier shall not be entitled to raise any objection to the appointment of such officer of Balmer Lawrie as the sole arbitrator on the ground that the said officer is an officer of Balmer Lawrie or that he/she in the course of duties as an officer of Balmer Lawrie he/she has/had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference.

The award of the arbitrator shall be final, conclusive and binding on all the Parties to the agreement subject to the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules made thereunder for the time being in force.

The award shall be made in writing and published by the Arbitrator within six months of entering upon the reference or within such further time mutually extended by the

parties. The arbitrator shall have power to order and direct the parties to abide by, observe and perform all such directions as the arbitrator may think fit and proper to issue having regard to the fact that the arbitration proceedings have to be completed within the specified period solely on the principles of Natural Justice.

The arbitrator shall have power to make one or more awards whether interim or otherwise in respect of the dispute and differences and in particular shall make separate awards in respect of each claim or cross claims of the parties.

The arbitrator shall be entitled to direct any of the parties to pay the costs of arbitration in such manner and to such extent as a arbitrator may in his discretion determine and shall also be entitled to require one or both the parties to deposit funds in such proportions to meet the arbitration expenses. The parties to arbitration whenever called upon to do so shall be bound to comply with such direction without any demur.

Notwithstanding anything contained in any other law, the Parties hereby agree that the courts in the city of Kolkata alone shall have jurisdiction in respect of all or anything arising under this agreement and any award or awards made by the sole arbitrator hereunder shall be filed in the courts in the city of Kolkata only.

17. Compliance with Regulations

The Bidder shall warrant that all goods and services covered by this agreement/contract shall have been produced, sold, supplied, despatched, delivered and furnished in strict compliance with all applicable laws, regulations, labour agreements, working conditions and technical codes and requirements as applicable from time to time. The Bidder shall execute and deliver such documents as may be required to effect or to evidence such compliance.

All laws and regulations required to be incorporated in this charter are hereby deemed to be incorporated by these references. BL and their authorized representatives disown any responsibility for any irregularity, contravention or infringement of any statutory regulations in the manufacture and / or supply of goods /services covered by this agreement/contract.

The vendor shall issue the excise paid invoice so that equivalent amount may be availed as Cenvat credit by us, if applicable. Concessional form pertaining to Sales Tax shall be issued to the vendor by us if applicable.

18. Force Majeure

Any delay in or failure of the performance of either party hereto shall not constitute default hereunder or give rise to any claims for damage, if any, to the extent such delays, failure of performance is caused by occurrences such as Acts of God or an enemy, decrees of any government or governmental authority, acts of war, rebellion, sabotage or fires, floods, explosions, riots, or strikes. The Bidder must keep records of the circumstances referred to above and bring these to the notice of the concerned officer of the buyer in writing within 7 days on such occurrences. The amount of time, if any, lost on any of these counts shall not be counted for the contract period. The decision of the buyer arrived at after consultation with the vendor, shall be final and binding. Such period of time shall be extended by the buyer to enable the Bidder to deliver the items within such extended period of time.

As soon as the cause of Force Majeure been removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the other of such cessation and inform the other party the actual delay incurred in such affected activities. Any such event, whenever it occurs, provided that it prevents, affects or delays the party in performing contractual obligation, shall justify the claim of Force Majeure.

Each page of the documents shall be stamped and signed by the authorized representative of the bidder as a token of their acceptance of all terms and conditions and the Product Specifications in TOTO.

Offers received from related companies (definition of related companies as per Company Act of 1946 shall apply) shall be considered as one offer.

Thanking You

Yours Faithfully

for **Balmer Lawrie & Co. Limited**

Pratik Burman

Jr. Officer (SCM)

Balmer Lawrie & Co. Ltd

SBU-Grease & Lubricants,

P-43, Hide Road Extension,
Kolkata -700 088

Tel : + 91 33 2450 0153 / 09836809607

e-mail : burman.p@balmerlawrie.com



PROCEDURE FOR ON-LINE BID SUBMISSION

1.0 Procedure For Bid Submission

The bidder(s) shall submit their response through bid submission to the tender on e-Procurement platform at <https://balmerlawrie.eproc/.in> by following the procedure given below. The bidder would be required to register on the e-procurement market place at <https://balmerlawrie.eproc/.in> and submit their bids online.

No offline bids shall be entertained by the Tender Inviting Authority. The bidders shall submit their eligibility and qualification documents, Technical bid, Financial bid etc., in the standard formats prescribed in the Tender documents, displayed in e-Procurement web site. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., if required, in support of their eligibility criteria/technical bids in the e-Procurement web site. However, bulky documents need not be scanned and uploaded but physical copy of the same should be sent to the Tender Inviting Authority's office before the due date of the tender. The bidder(s) must sign on the statements, documents, certificates, uploaded by them, owning responsibility for their correctness/authenticity.

2.0 Registration with e-Procurement platform

For registration and online bid submission bidders may contact HELP DESK of M/s C1 India Pvt. Ltd., or they can register themselves online by logging in to the website <https://balmerlawrie.eproc/.in>

3.0 Digital Certificate authentication

The bidder(s) must authenticate the bid with their Digital Certificate for submitting the bid electronically on e-Procurement platform and the bids not authenticated by digital certificate of the bidder will not be accepted on the e-Procurement platform. All the bidders who do not have Digital Certificates need to obtain Digital Certificate. They may contact Help Desk of C1 India Pvt Ltd. as follows :

M/s C1 India Pvt Ltd.
C 104, Sector 2 Noida – 201 301
Contact person :

1. Mr. Tirtha Das(Kolkata)	tirtha[dot]das[at]c1india[dot]com	+91-9163254290
2. Mr. Partha Ghosh(Kolkata)	partha[dot]ghosh[at]c1india[dot]com	+91-8811093299
3. Mr. CH.Mani Sankar (Chennai)	chikkavarapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com	+91-8939284159
4. Ms. Ujwala Shimpi (Mumbai)	ujwala[dot]shimpi[at]c1india[dot]com	+91-022- 66865608

4.0 Submission of Hard copies

After submission of bid online, the bidders are requested to submit the demand drafts /bank guarantee towards tender fees and / or EMD along with other documents as applicable, to the Tender Inviting Authority before the due date of the tender. The bidder(s) must submit the original DD / Bank Guarantee and other documents either in person or through courier or by post and the receipt of the same within the stipulated time shall be the responsibility of bidder. BL shall not take any responsibility for any delay or non-receipt of said documents. If any of the documents furnished by the bidder is found to be false / fabricated, the bidder is liable for putting under Holiday List, forfeiture of the EMD, cancellation of work and criminal prosecution. The bidder is requested to get an acknowledgement from the Tender Inviting Authority as proof of submission of hardcopies.

5.0 Corrigendum to tender

The bidder has to keep track of any changes by viewing the addendum / corrigendum issued by the Tender Inviting Authority on time-to-time basis in the e-Procurement platform. The Company calling for tenders shall not be responsible for any claims/problems arising out of this.

6.0 Bid Submission Acknowledgement

The user should complete all the processes and steps required for bid submission. The successful bid submission can be ascertained once acknowledgement is given by the system through bid submission number after completing all the processes and steps. Tender Inviting Authority and C1 India Pvt. Ltd. will not be responsible for incomplete bid submission by users. Users may also note that the incomplete bids will not be saved by the system and are not available for the Tender Inviting Authority for processing.

Before uploading scanned documents, the bidder(s) must sign on all the statements, documents, certificates uploaded by him and stamped, owning responsibility for their correctness / authenticity

बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
एसबीयूग्रीज : & लुब्रिकेंट्स
पी -43, हाइड रोड एक्स्टेंशन
कोलकाता -700 088

निविदा आमंत्रण सूचना

1. निविदा सं. : जीएलके/टीई18/390 दिनांकित 08.02.2019
2. निविदा जमा करने की तिथि : 01.03.2019 को 15.00 बजे भा.स.मा.
3. निविदा का प्रकार : सार्वजनिक निविदा
4. मद : टैंकर में ऑलीइक एसिड
5. परिमाण : 100 मेट्रिक टन (+/-10%)
6. बयाना राशि : 50,000 रुपए (भारतीय पचास हजार रुपए मात्र)
7. सुरक्षा जमा राशि : बुनियादी आदेश मूल्य के 3% की दर से
8. अनुबंध की अवधि : खानगी/प्रदायगी 30.09.2019
9. प्रस्ताव की वैधता : निविदा जमा करने की तारीख से 60 दिन

निविदा का विवरण

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो निम्न प्रकार तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार पेंटारिथराइटल की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे हुए निर्माताओं / संभावित बोलीदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आमंत्रित करता है।

1. तकनीकी विनिर्देशों :

क्र. सं.	पैरामीटर	विनिर्देश	इकाई
1	उपस्थिति	हल्के पीले तरल	
2	एसीड वैल्यू	195 से 205	एमजी सेओएस/जी
3	आयोडीन वैल्यू डब्ल्यूआईजे की प्रक्रिया	90 न्यूनतम	एमजी/जी
4	सी 16 एवं न्यूनतम का %	6.0 अधिकतम	%
5	टाइटर	27 अधिकतम	डिग सी
6	सैपोनिफिकेशन वैल्यू	199 न्यूनतम	एमजी केओएच/जी
7	सी 18 : 1, 2, 3 का %	75 न्यूनतम	%
8	सी 20 एवं उससे ऊपर का %	5.0 अधिकतम	%

ई-मेल के माध्यम से नियत तिथि से पहले बोलीदाताओं को उत्पाद डाटा शीट/विशिष्ट परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है अन्यथा उनके प्रस्तावों को अंतिम मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा।

सभी बोलीदाताओं से उनकी बोली के साथ-साथ एक संपुष्टि आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद बिना किसी विचलन के ऊपर के विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

2. पैकेज, भंडारण और परिवहन

20 एमटी क्षमता वाली एसएस टैंकर में सामग्री सुपुर्दगी किया जाना चाहिए।

3. गुणवत्ता

प्रत्येक खेपक निर्माता साथ के बैच/े परीक्षण और गुणवत्ता रिपोर्ट का अनुमोदन संलग्न किया जाना चाहिए। सभी बोलीदाता को टोटो में तकनीकी स्पष्टीकरण की स्वीकृत की घोषणा देना होगा अन्यथा उनके प्रस्ताव मूल्यांकन को नहीं माना जाएगा।

4. मात्रा: मात्रा सहिष्णुता के साथ 100 मेट्रिक टन (+) 10%

5. उद्गम देश : सभी बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ उद्गम देश उल्लेख करना होगा तथा अनुकूलित सीमा-शुल्क प्रशुल्क संख्या का भी उल्लेख करना आवश्यक है।

6. संदर्भ और प्रशंसापत्र : बोलीदाता को क्षमता, गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र, भारत और विदेशों में प्रमुख ग्राहकों सहित अपने विनिर्माण स्थलों का ब्यौरा अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए। अगर भारत में किसी एजेंट द्वारा विदेश के बोलीदाता का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो उसे मूल बोलीदाता की ओर से अपने पक्ष में बोली लगाने का एजेंसी समझौता/प्राधिकरण प्रस्तुत करना होगा।

7. बयाना जमा राशि बोलीदाताओं को 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) के 'बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड" के पक्ष में बनाए गए कोलकाता में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर या बैंक गारंटी के माध्यम से बयाना जमा राशि देनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और पंजीकृत एमएसएमई/एनएसआईसी/एसएसआई इकाईयों को बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें वैध पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करना ताकि वे बोली के लिए पात्र हो सके।
8. सुरक्षा जमा विक्रेता को एलओआई/आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर घरेलू बोलीदाता को बुनियादी आदेश मूल्य की 3% राशि के रूप में देनी होगी। अगर निविदा मात्रा को आदेश के समय दो विक्रेताओं में विभाजित कर दिया जाता है, तो सुरक्षा जमा को भी उसी अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। पंजीकृत एमएसएमई/एनएसआईसी/एसएसआई मैनुफैक्चरिंग इकाईयों को सुरक्षा जमा राशि के भुगतान से छूट दी गई है।
9. प्रस्ताव की वैधता : आपका प्रस्ताव निविदा की देय तिथि से 60 दिनों तक स्वीकृति के लिए वाध्य होना चाहिए।
10. प्रदायगी का निर्धारित समय
30.09.2019 के भीतर एलओआई/पीओ/आवधिक कॉल अप के अनुसार सामग्री 7-15 दिनों के भीतर हमारे जी&एल कोलकाता प्लांट में पहुंचनी चाहिए। कॉल आप मात्रा कम से कम 20 एमटी होगी (एक पुरा टैंकर लोड)
11. भुगतान की शर्तें
हमारे द्वारा माल की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
12. कीमत
घरेलू बोलीदाताओं को कोलकाता में हमारे संयंत्र में दरवाजे पर प्रदायगी के आधार पर भारतीय रुपए / केजी में बोली लगानी चाहिए। कीमत 31.03.2019 तक की शिपमेंट/प्रदायगी के लिए मान्य होनी चाहिए।
13. बोली की स्वीकृति : बीएल किसी भी निविदा को पूरे या आंशिक रूप में स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। किसी एक/सभी प्रस्तावों के पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकृति और/या अस्वीकृति का निर्णय बीएल के विवेकाधिकार पर किया जाएगा और इस संबंध में किया गया निर्णय बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
14. जोखिम क्रय : निविदा में अन्य प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, आपूर्तिकर्ता के निर्धारित लीड समय के भीतर आपूर्ति करने में नाकाम रहने की स्थिति में, बीएल को आगे सूचना दिए बिना, आपूर्तिकर्ता की जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक स्रोतों से उत्पाद खरीदने का विकल्प होगा। अस्वीकृति के मामले में, यदि कोई हो, आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रतिस्थापन सामग्री के प्रेषण के लिए, खरीदार को आगे सूचना दिए बिना, आपूर्तिकर्ता की जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक स्रोतों से उत्पाद खरीदने का अधिकार होगा।
15. गारंटी : उत्पाद की प्राप्ति और परीक्षण पर (पहुँचने के 60 दिनों के अंदर), अगर यह पाया जाता है कि वह संविदात्मक विनिर्देशों को पूरा नहीं करता, तो आपूर्तिकर्ता बिना किसी लागत के उत्पाद को प्रतिस्थापित करेगा और क्रेता को उस कीमत की प्रतिपूर्ति करेगा जिसे खरीदार ने विशिष्टता रहित सामग्री पर खर्च किया हो।

16. मध्यस्थता

समझौते/अनुबंध से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले मतभेदों और विवादों को बामर लॉरी एवं कंपनी लिमिटेड (बीएल), के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा जो या तो स्वयं एकमात्र मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे या बीएल के किसी अधिकारी को मध्यस्थ नामित

कर पक्षों के बीच के विवादों और मतभेदों का निर्णय करने के लिए भेजा जाएगा (केवल उन्हें छोड़कर जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति के निर्णय को अनुबंध में अंतिम और बाध्यकारी व्यक्त किया गया हो)।

आपूर्तिकर्ता को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए बामर लॉरी के किसी भी अधिकारी की नियुक्ति पर या बामर लॉरी के अधिकारी के कर्तव्यों को निभाते हुए विवाद या मतभेद के किसी एक या सभी मुद्दों पर उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम, निर्णायक और भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन समझौते के लिए तत्समय प्रवृत्त विषय के लिए सभी दलों पर बाध्यकारी होगा।

निर्णय लिखित रूप में किया जाएगा और संदर्भ में प्रवेश करने के छह महीने के भीतर या पक्षों द्वारा परस्पर सहमति से बढ़ाये गए ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर मध्यस्थ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मध्यस्थ को ऐसे आदेश देने का जिसे जारी करना वह उचित एवं सही समझे तथा मध्यस्थता की कार्यवाही के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने और पक्षों को उसका पालन करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार होगा।

मध्यस्थ को विवाद और मतभेद के संबंध में, और विशेष रूप से प्रत्येक दावे या पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी दावों के संबंध में अंतरिम या अन्यथा एक या एक से अधिक निर्णय देने का अधिकार होगा।

मध्यस्थ को किसी भी पक्ष को इस तरह से और इस हद तक मध्यस्थता की लागत का भुगतान करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार होगा जिसका वह अपने विवेक से निर्णय करे और उसे किसी एक या दोनों पक्षों से इस अनुपात में धन जमा करने का अधिकार होगा जिससे मध्यस्थता के खर्चों को पूरा किया जा सके। जब भी आह्वान किया जाए मध्यस्थता के पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एतद्वारा पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस समझौते के अधीन या एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किए गए किसी निर्णय या निर्णयों से उत्पन्न विवाद केवल कोलकाता शहर की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और इनके लिए किसी प्रकार का मुकदमा या अपील केवल कोलकाता शहर की अदालतों में दायर किए जाएंगे।

17. नियमों का अनुपालन

बोलीदाता यह आश्वासन देगा कि इस समझौते/अनुबंध में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी लागू कानूनों, नियमों, श्रम समझौतों, काम की परिस्थितियों और तकनीकी कोड और समय-समय पर लागू आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उत्पादित, बेचा, आपूर्ति, भेजा, दिया और प्रस्तुत किया गया है। बोलीदाता को इस तरह के दस्तावेज निष्पादित और लागू करने होंगे जो सबूत के अनुपालन या प्रभावित करने के लिए आवश्यक हों।

इस घोषणा में ऐसे सभी कानूनों और नियमों को शामिल किया गया है जिनको इन संदर्भों में शामिल किया जाना आवश्यक समझा गया है। बीएल और उनके अधिकृत प्रतिनिधि इस समझौते/अनुबंध में शामिल वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण और/या आपूर्ति में किसी अनियमितता, उल्लंघन या किसी भी वैधानिक नियमों के उल्लंघन के लिए किसी भी जिम्मेदारी को लेने से इनकार करते हैं।

विक्रेता उत्पाद शुल्क का भुगतान कर चालान जारी करेगा, ताकि यदि लागू हो, तो हमारे द्वारा सेनवैट क्रेडिट के रूप में बराबर राशि का लाभ उठाया जा सकता है। यदि लागू हो, हमारे द्वारा विक्रेता के लिए बिक्री कर से संबंधित रियायती प्रपत्र जारी किया जाएगा।

18. अप्रत्याशित घटना

किसी भी पक्ष द्वारा निष्पादन में कोई विफलता या देरी को किसी भी प्रकार की चूक नहीं माना जाएगा या क्षति के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा, यदि यह ईश्वर या दुश्मन के किसी कार्य, सरकार के पतन या सरकारी अधिकारी के आदेशों, युद्ध, विद्रोह, तोड़फोड़ या आग, बाढ़, विस्फोट, दंगे या हड़ताल जैसी घटनाओं के कारण होता है। बोलीदाता ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों का रिकॉर्ड रखेगा और इस तरह की घटनाओं के होने के 7 दिनों के भीतर लिखित में खरीदार के संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देगा। इन मामलों में से किसी की वजह से नष्ट हुई समय को यदि कोई हो, को अनुबंध की अवधि में नहीं गिना जाएगा। विक्रेता के साथ परामर्श के बाद, खरीदार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। खरीदार द्वारा समय की अवधि को ऐसे समय के लिए विस्तारित किया जाएगा, जिसमें बोलीदाता मद की प्रदायगी करने में सक्षम हो सके।

जैसे ही अप्रत्याशित घटना के कारण को दूर किया जाता है, वह पक्ष जिसके दायित्व का प्रदर्शन प्रभावित हुआ हो इस तरह की समाप्ति के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा और दूसरा पक्ष ऐसी गतिविधियों में हुई वास्तविक देरी को सूचित करेगा। ऐसी किसी घटना के होने पर, जब यह किसी पक्ष द्वारा संविदात्मक बाध्यता को पूरा करने से रोकती है, देर करती है, वह अप्रत्याशित घटना के दावे को सही ठहराएगा।

सभी नियम और शर्तों और पूर्ण रूप से उत्पाद विनिर्देशों के बारे में उनकी स्वीकृति की निशानी के रूप में दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगाई जाएगी और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

संबंधित कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों को (कंपनी अधिनियम, 1946 में दी गई संबंधित कंपनियों की परिभाषा लागू होगी) एक प्रस्ताव को एक ही संबंधित माना जाएगा।

धन्यवाद

भवदीय

कृते बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

प्रतीक बर्मन

जूनियर ऑफिसर (एस सी एम)

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

एसबीयू ग्रीज एंड लूब्रिकेंट्स

पी-43, हाइड रोड एक्स्टेंशन

कोलकाता- 700 088

दूरभाष : + 91 33 2450 0153 / 09836809607

ईमेल:- burman.p@balmerlawrie.com



ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया

1.0 बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

बोलीदाता (ओं) नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से ई-प्रापण मंच <https://balmerlawrie.eproc/.in> पर निविदा के लिए बोली जमा करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को <https://balmerlawrie.eproc/.in> पर ई-प्रापण बाजार स्थान में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी और अपनी बोली को ऑनलाइन जमा कर सकता है।

निविदा आमंत्रित करने वाली प्राधिकारी द्वारा किसी ऑफलाइन बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता, ई-प्रापण वेबसाइट में दिखाये गए निविदा दस्तावेज में निर्धारित मानक प्रारूप में अपनी पात्रता और योग्यता के दस्तावेज, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली आदि प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता ई-प्रापण वेबसाइट में अपने पात्रता मानक/तकनीकी बोलियों के समर्थन में सभी संबंधित प्रमाण-पत्र, दस्तावेज आदि, यदि आवश्यक हो, की स्कैन प्रतियां अपलोड करेगा। हालांकि, भारी दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी भौतिक प्रतिलिपि निविदा की देय तिथि से पहले निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता (ओं) को बयान, दस्तावेजों, प्रमाण पत्र, उनके द्वारा अपलोड की गई प्रति की सत्यता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

2.0 ई-प्रापण मंच के साथ पंजीकरण

पंजीकरण और ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, या वे वेबसाइट <https://balmerlawrie.eproc/.in> में प्रवेश करके खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं

3.0 डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन

बोलीदाता (ओं) को ई-प्रापण मंच पर इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रस्तुत करने के लिए अपने डिजिटल प्रमाण-पत्र के साथ बोली को प्रमाणित करना होगा और बोली लगाने के डिजिटल प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित न होने वाली बोलियों को ई-प्रापण मंच पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन बोलीदाताओं के पास डिजिटल प्रमाण-पत्र नहीं है उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत होगी। वे सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहायता डेस्क से इस प्रकार संपर्क कर सकते हैं:

मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी 104, सेक्टर 2 नोएडा - 201 301

संपर्क व्यक्ति :

1. Mr. Tirtha Das(Kolkata)	tirtha[dot]das[at]c1india[dot]com	+91-9163254290
2. Mr. Partha Ghosh(Kolkata)	partha[dot]ghosh[at]c1india[dot]com	+91-8811093299
3. Mr. CH.Mani Sankar (Chennai)	chikkavarapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com	+91-8939284159
4. Ms. Ujwala Shimpi (Mumbai)	ujwala[dot]shimpi[at]c1india[dot]com	+91-022-66865608

4.0 हार्ड प्रतियों की प्रस्तुति

ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाताओं से निविदा की देय तिथि से पहले निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के लिए प्रयोज्य रूप में अन्य दस्तावेजों के साथ निविदा शुल्क और/या ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जमा कराने का अनुरोध किया जाता है। बोलीदाता (ओं) को व्यक्तिगत रूप से या कूरियर या डाक के माध्यम से मूल डीडी/बैंक गारंटी और अन्य दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर भेजा जाना चाहिए, इन्हें समय पर प्रस्तुत करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। बीएल किसी देरी या उक्त दस्तावेजों के गैर-प्राप्ति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से कोई झूठा/गढ़ा हुआ पाया जाता है तो बोली लगाने वाला अवकाश सूची के अधीन किए जाने, बयाना राशि जब्त होने, कार्य को रद्द करने और आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पात्र होगा। बोलीदाता से हार्ड प्रतियां प्रस्तुत करने के सबूत के रूप में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण से एक रसीद प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है।

5.0 निविदा के लिए शुद्धिपत्र

बोलीदाता को ई-प्रापण मंच में समय-समय पर निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को देखने के द्वारा किसी भी परिवर्तन की जानकारी रखनी चाहिए। निविदा आमंत्रित करने वाली कंपनी इसकी वजह से हुए किसी भी दावे/समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

6.0 बोली प्रस्तुत करने की पावती

उपयोगकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करने के बाद बोली प्रस्तुत नंबर के माध्यम से प्रणाली द्वारा एक बार पावती दी जाती है तो पता लगाया जा सकता है कि बोली को सफलता पूर्वक प्रस्तुत कर दिया गया। निविदा आमंत्रक प्राधिकरण और सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपयोगकर्ताओं द्वारा अधूरी बोली प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उपयोगकर्ताओं इसका भी ध्यान रखें कि अधूरी बोलियों को प्रणाली द्वारा सहेजा नहीं जा सकेगा और यह प्रसंस्करण के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं होगी।

स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले, बोलीदाता (ओं) को उसके द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी बयानों, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की सत्यता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए उस पर मुहर लगा कर हस्ताक्षर कर भेजें।